न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10/2020 **दायर दिनांकः 27/01/2020**

उनवान

1. प्रीतम सिंह आयु 35 वर्ष पुत्र नेमीचन्द जाति मीणा निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. नेमीचन्द आयु 65 वर्ष पुत्र गोरधन जाति मीणा निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0
2. हिम्मत सिंह आयु 29 वर्ष पुत्र नेमीचन्द जाति मीणा निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

आदेश

दिनाकः 10/02/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 183, 188 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0) मे प्रतिवादी क्रम 1 के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 105 का ख0नं0 216 का रकबा 0.30 है0 ख0न0 273/1389 का रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.37 हेक्टर दर्ज खाता स्थित चली आ रही है। इसी तरह से वाके ग्राम एवं माल खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू में प्रतिवादी क्रम 1 नेमीचन्द पुत्र गोरधन के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 106 का ख0न0 1496/157 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 1500/533 का रकबा 0.31 है0 ख0न0 161/1404 का रकबा 0.12 है0 ख0न0 177 का रकबा 0.03 है0 ख0न0 207 का रकबा 0.11 है0 ख0न0 208 का रकबा 0.12 है0 ख0न0 209 का रकबा 0.14 है0 ख0न0 210 का रकबा 0.23 है0 ख0न0 211 का रकबा 0.31 है0 ख0न0 212 का रकबा 0.25 है0 ख0न0 213 का रकबा 0.17 है0 ख0न0 214 का रकबा 0.26 है0 ख0न0 214/1302 का रकबा 0.15 है0 ख0न0 215 का रकबा 0.15 है0 ख0न0 230 का रकबा 0.20 है0 ख0न0 273 का रकबा 0.67 है0 ख0न0 522 का रकबा 0.05

है0 कुल किता 17 का कुल रकबा 3.36 हेक्टर आराजीयात स्थित है। वाद पत्र के साथ खाता संख्या 105, 106 की नकल नवीन जमाबन्दिया सम्वत् 2073 से 2076 पेश है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित दोनो ही खातों की आराजीयात वादी के पिताजी के खाते की है, उक्त आराजीयात प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में मिली है अर्थात उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1, 2 के पूर्वजों की सम्पत्ति है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक प्रतिवादी क्रम 1 के वारिस वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 होने की वजह से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 का जन्म से ही बराबर–बराबर हिस्सा बनता है अर्थात पैतृक आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 2 का 1/3 हिस्सा बनता है लेकिन वर्तमान में सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज होने की वजह से वह उसको रहन, बेचान, खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, उक्त आशय की धमकी प्रतिवादी क्रम 1 ने दिनांक 21/01/2020 को दी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी कम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर प्रतिवादी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहा और वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी को रहन, बेचान, खुर्द बुर्द कर दिया गया तो वादी को वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक प्राप्त हक हकूको से वंचित होना पड़ेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की पारित की जावे कि वाद पत्र के मद नं0 1 मे वर्णित आराजीयात पैतृक सम्पत्ति होने की वजह से तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 प्रतिवादी क्रम 1 के वैध वारिस होने की वजह से वादी को 1/3 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर आराजी का विभाजन किया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा जिस पर वह काबिज है पृथक से वादी के नाम खाता दर्ज किया जावे। इसी तरह से विधि के प्रावधानों के मुताबिक 1/3 हिस्सा हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 2 के खाते दर्ज किया जावे तथा बाद विभाजन ऋण का नोट वादी एवं प्रतिवादी कम 1, 2 के खाते पर दर्ज किया जावे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 21/01/2020 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी को रहन, बेचान व खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 24/01/2020 को गांव में आराजी बेचान का सौदा करने की बात करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड

नोटिस अर्न्तगत धारा 80 जा0दी0 मियादी 2 माह प्रेषित करवा दिया है लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 पैतृक आराजी को रहन, बेचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि नोटिस अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया और इस अवधि के दौरान प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित पैतृक आराजी को रहन, बेचान व खुर्द बुर्द कर दिया तो बाद में वादी द्वारा वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस वजह से वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 के साथ माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र 80 (2) जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वाद की नियमित सुनवाई की जावे। वाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0 में स्थित है जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी को प्रतिवादी क्रम 3 की शाखा के यहां रहन रखकर कृषि ऋण ले रखा है इस वजह से भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू को प्रतिवादी क्रम 3 पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने की वजह से तथा वाद विभाजन एवं घोषणा का होने की वजह से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 4 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की पारित की जावेः—

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पूर्वजों की सम्पत्ति होने की वजह से उस पर वादी का जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक 1/3 हिस्सा बनता है जिस पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। इसी तरह से 1/3, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1, 2 के खाता दर्ज किया जावे।

(ब) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1, 2 के खाता दर्ज करने के बाद वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1, 2 को हिस्सा विभाजन करते हुये पृथक से वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1, 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा पृथक से राजस्व रिकार्ड खाते दर्ज किया जावे तथा कब्जा दिलाया जावे।

(स) बाद विभाजन बैंक ऋण का नोट वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1, 2 के खाते पर दर्ज किया जावे।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर राजिनामा इस आशय का पेश किया कि प्रीतमसिंह वादी के निम्न आराजी रहेगी ख0न0 273/1389 का रकबा 0.07 है0, ख0न0 1496/157 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 1500/533 का रकबा 0.31 मे से 0.16 है0 पूर्व साइड का हिस्सा ख0न0 205 का रकबा 0.11 है0 ख0न0 210 का रकबा 0.23 है0 ख0न0 273 का रकबा 0.67 है0 प्रतिवादी हिम्मत सिंह के निम्न आराजी रहेगी ख0न0 1500/533 का रकबा 0.15 है0 पश्चिम साइड की ख0न0 208 का रकबा 0.12 है0 ख0न0 209 का रकबा 0.14 है0 ख0न0 211 का रकबा 0.31 है0 ख0न0 212 का रकबा 0.25 है0 ख0न0 213 का रकबा 0.17 है0 ख0न0 214/1302 का रकबा 0.15 है0 नेमीचन्द प्रतिवादी क्रम 1 के निम्न प्रकार से रहेगी ख0न0 216 का रकबा 0.30 है0 ख0न0 161/1404 का रकबा 0.12 है0 ख0न0 177 का रकबा 0.03 है0 ख0न0 215 का रकबा 0.15 है0 ख0न0 230 का रकबा 0.20 है0 ख0न0 522 का रकबा 0.05 है0 ख0न0 214 का रकबा 0.26 है0 राजीनामा के मद नं0 1, 2, 3 में दर्ज हिस्से बाकी तथा प्रतिवादी के अलग अलग खाते दर्ज करके आराजी का विभाजन भी किया जावे।

अतः माननीय न्यायालय में राजीनामा पेशकर निवेदन है कि राजीनामा के मुताबिक निर्णय डिक्री जाने के आदेश फरमाया जावें।

वादी एवं प्रतिवादी को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। वादी की पहचान श्री मोहनलाल सुमन एडवोकेट द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान महावीर प्रसाद नागर की गई, राजीनामा सही होना स्वीकार किया राजीनामा बाद तस्दीक सा.फा. किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वाके ग्राम खरखड़ा रालोथान की खाता संख्या 105 ख0न0 216 का रकबा 0.30 है0 ख0न0 273/1389 का रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.37 हे0 व खाता सं0 106 1496/157 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 1500/533 का रकबा 0.31 है0 ख0न0 161/1404 का रकबा 0.12 है0 ख0न0 177 का रकबा 0.03 है0 ख0न0 207 का रकबा 0.11 है0 ख0न0 208 का रकबा 0.12 है0 ख0न0 209 का रकबा 0.14 है0 ख0न0 210 का रकबा 0.23 है0 ख0न0 211 का रकबा 0.31 है0 ख0न0 212 का रकबा 0.25 है0 ख0न0 213 का रकबा 0.17 है0

ख0न0 214 का रकबा 0.26 है0 ख0न0 214/1302 का रकबा 0.15 है0 ख0न0 215 का रकबा 0.15 है0 ख0न0 230 का रकबा 0.20 है0 ख0न0 273 का रकबा 0.67 है0 ख0न0 522 का रकबा 0.05 है0 कुल किता 17 का कुल रकबा 3.36 है। प्रतिवादी क्रम 1 के खाते मे दर्ज है, जो पैतृक सम्पत्ति है। अतः आपकी सहमति से राजीनामानुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद आपकी सहमति से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खरखड़ा रामलोथान की खाता संख्या 105 की किता 2 रकबा 0.37 है0 खाता संख्या 106 किता 17 रकबा 3.36 का आपसी सहमति से निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

1. प्रीतम सिंह वादी के निम्न आराजी रहेगी ख0न0 273/1389 का रकबा 0.07 है0, ख0न0 1496/157 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 1500/533 का रकबा 0.31 मे से 0.16 है0 पूर्व साइड का हिस्सा ख0न0 205 का रकबा 0.11 है0 ख0न0 210 का रकबा 0.23 है0 ख0न0 273 का रकबा 0.67 है0
2. वादी हिम्मत सिंह के निम्न आराजी रहेगी ख0न0 1500/533 का रकबा 0.15 है0 पश्चिम साइड की ख0न0 208 का रकबा 0.12 है0 ख0न0 209 का रकबा 0.14 है0 ख0न0 211 का रकबा 0.31 है0 ख0न0 212 का रकबा 0.25 है0 ख0न0 213 का रकबा 0.17 है0 ख0न0 214/1302 का रकबा 0.15 है0
3. नेमीचन्द प्रतिवादी क्रम 1 के निम्न प्रकार से रहेगी ख0न0 216 का रकबा 0.30 है0 ख0न0 161/1404 का रकबा 0.12 है0 ख0न0 177 का रकबा 0.03 है0 ख0न0 215 का रकबा 0.15 है0 ख0न0 230 का रकबा 0.20 है0 ख0न0 522 का रकबा 0.05 है0 ख0न0 214 का रकबा 0.26 है0

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार विभाजन कर पृथक पृथक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे तथा रहन SBI शाखा अटरू का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 10/2020

उनवान

1. प्रीतम सिंह आयु 35 वर्ष पुत्र नेमीचन्द जाति मीणा निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. नेमीचन्द आयु 65 वर्ष पुत्र गोरधन जाति मीणा निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0
2. हिम्मत सिंह आयु 29 वर्ष पुत्र नेमीचन्द जाति मीणा निवासी खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खरखड़ा रामलोथान की खाता संख्या 105 की किता 2 रकबा 0.37 है0 खाता संख्या 106 किता 17 रकबा 3.36 का आपसी सहमति से निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

1. प्रीतम सिंह वादी के निम्न आराजी रहेगी ख0न0 273/1389 का रकबा 0.07 है0, ख0न0 1496/157 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 1500/533 का रकबा 0.31 मे से 0.16 है0 पूर्व साइड का हिस्सा ख0न0 205 का रकबा 0.11 है0 ख0न0 210 का रकबा 0.23 है0 ख0न0 273 का रकबा 0.67 है0
2. वादी हिम्मत सिंह के निम्न आराजी रहेगी ख0न0 1500/533 का रकबा 0.15 है0 पश्चिम साइड की ख0न0 208 का रकबा 0.12 है0 ख0न0 209 का रकबा 0.14 है0 ख0न0 211 का रकबा 0.31 है0 ख0न0 212 का रकबा 0.25 है0 ख0न0 213 का रकबा 0.17 है0 ख0न0 214/1302 का रकबा 0.15 है0
3. नेमीचन्द प्रतिवादी क्रम 1 के निम्न प्रकार से रहेगी ख0न0 216 का रकबा 0.30 है0 ख0न0 161/1404 का रकबा 0.12 है0 ख0न0 177 का रकबा 0.03 है0 ख0न0 215 का रकबा 0.15 है0 ख0न0 230 का रकबा 0.20 है0 ख0न0 522 का रकबा 0.05 है0 ख0न0 214 का रकबा 0.26 है0

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार विभाजन कर पृथक पृथक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे तथा रहन SBI शाखा अटरू का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज किया जावे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 10.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 13:55:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: